

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29/12/2007

कमांक एफ 3-22/2004/10-1, राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13.12.2004 से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.11.2004 की अनुशंसा के आधार पर श्री सी0एस0 सिंह उप वन क्षेत्रपाल से कनिष्ठ उप वन क्षेत्रपालों के पदोन्नति आदेश जारी किये गये थे। उक्त विभागीय पदोन्नति की बैठक के समय श्री सिंह उप वन क्षेत्रपाल के 2 कारण बताओं सूचना पत्र लंबित होने कारण समिति द्वारा इनकी अनुशंसायें बंद लिफाफे में रखी गई थी। उक्त सूचना पत्र वन मण्डलाधिकारी सतना के आदेश दिनांक 16.02.2005 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दिये गये।

2/ तत्पश्चात विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.12.2006 एवं 04.08.2007 की उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल की पदोन्नति समिति की बैठक में एक अन्य प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी सतना के आदेश दिनांक 20.12.2006 द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोधित होने के कारण समिति ने श्री सिंह को दण्ड प्रभावशील होने के कारण उपयुक्त नहीं पाया।

3/ सा0प्र0वि0 के परिपत्र सी-2/2006/3/एक दिनांक 11.09.2007 द्वारा स्पष्ट किया है कि उनके परिपत्र दिनांक 30.06.94 की कंडिका-7 ऐसे मामले में लागू नहीं होगी जिसमें प्रथम जांच में दोष मुक्त पाये जाने के कारण संबंधित शास0 सेवक के विषय में विभागीय पदोन्नति समिति का बन्द लिफाफा खोलते समय विभाग द्वारा कोई अन्य विभागीय जांच संस्थित कर दी गई थी अर्थात् प्रथम जांच से दोषमुक्त पाये जाने पर प्रथम विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा की स्थिति में कनिष्ठ की पदोन्नति के दिनांक से पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा।

4/ राज्य शासन श्री सी0एस0 सिंह उप वन क्षेत्रपाल को विभागीय आदेश दिनांक 16.12.2004 में पदोन्नत उनके कनिष्ठ की पदोन्नति के दिनांक से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश वेतनमान 5500-175-9000 में, वन वृत्त रीवा में पदस्थ किया जाता है।

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 06 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 3-40/2007/10-1, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वन क्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में न्यायालयीन निर्णयों के अधीन पदोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल/ परिक्षेत्राधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है:-

अंक	उप वन क्षेत्रपाल का नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थिति का वृत्त	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना का वृत्त
✓ 1.	चन्द्रकांत तिवारी	रीवा ✓	रीवा ✓
✓ 2.	कृष्णपाल सिंह तिवारी	रीवा ✓	बालाघाट ✓
✓ 3.	एस. दयाल वर्मा	भोपाल ✓	बालाघाट ✓
✓ 4.	लीलूदास भैसवार	बालाघाट ✓	सिवनी ✓
✓ 5.	प्रेम नारायण अहिरवार	सागर ✓	बालाघाट ✓
✓ 6.	आर.के. श्रीवास्तव	सागर ✓	सिवनी ✓
✓ 7.	महेश प्रसाद त्रिपाठी	रीवा ✓	बैतूल ✓
✓ 8.	नरेंद्र सिंह सोलंकी	इन्दौर ✓	भोपाल ✓
✓ 9.	हरीश कुमार शर्मा	सागर ✓	श्यापुर कूनो ✓
✓ 10.	राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा	सागर ✓	रीवा ✓
✓ 11.	रामनरेश पाण्डे	रीवा ✓	खण्डवा ✓
✓ 12.	आर.एस. डहाटे	सिवनी ✓	सागर ✓
✓ 13.	जे.के. श्रीवास्तव	बालाघाट ✓	बालाघाट ✓
✓ 14.	शंकरलाल भूरिया	उज्जैन ✓	खण्डवा ✓


2/ मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम

तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

4/ संबंधित कर्मचारी को तत्काल पदोन्नति पर भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी. त्रिपाठी)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक एफ 3-40/2007/10-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 06 नवम्बर 2007

1. सचिव, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल।
2. निज सचिव मा0 वन मंत्रीजी/मा0 राज्य मंत्रीजी, वन विभाग म0प्र0 शासन।
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल, यू0ओ0 क्र. 750 दि0 09-10-2007 के संदर्भ में।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्य प्रदेश भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल।
9. समस्त मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल।
10. संचालक, म0प्र0 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।
11. संबंधित वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।
12. संबंधित वन मण्डलाधिकारी, मध्य प्रदेश।
13. संयुक्त संचालक, जन संपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
14. संबंधित कर्मचारी द्वारा:- अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा/अराज) म0 प्र0 भोपाल।
15. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, वन विभाग।
16. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

25

6/11/07

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 06 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 3-40/2007/10-1, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वन क्षेत्रपालों को वरीयता सूची में वरीयता निर्धारित हो जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 23-12-2006 की विभागीय पदोन्नति समिति में पदोन्नत उनके कनिष्ठ के दिनांक से पदोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थापन पर पदस्थ किया जाता है:-

अ0क0	उप वन क्षेत्रपाल का नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थिति का वृत्त	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना का वृत्त
1.	लखन लाल धुर्वे 57	जबलपुर ✓	सागर
2.	एस.के. कुरचानियाँ 217/06	भोपाल ✓	भोपाल
3.	खेमचंद माल 505	इंदौर ✓	बालाघाट

2/ उपरोक्त कर्मचारियों की वरीयता दिनांक 23-12-2006 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के आधार पर पदोन्नत हुए उनके कनिष्ठ अधिकारी के ऊपर निर्धारित की जायगी।

3/ उपरोक्त कर्मचारियों के पूर्व का वेतन काल्पनिक रूप से नो-वर्क नो-पे के सिद्धांत पर, इनकी वन क्षेत्रपाल के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति की तिथि, उनके कनिष्ठ के दिनांक से पदभार ग्रहण करने के दिनांक तक वेतन का निर्धारण काल्पनिक रूप से किया जावेगा एवं अवशेष राशि के भुगतान की पात्रता नहीं होगी।


3/ मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का

अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

5/ संबंधित कर्मचारी को तत्काल पदोन्नति पर भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी. त्रिपाठी)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग


क्रमांक एफ 3-40/2007/10-1

भोपाल, दिनांक 06 नवम्बर 2007

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल।
2. निज सचिव मा0 वन मंत्रीजी/मा0 राज्य मंत्रीजी, वन विभाग म0प्र0 शासन।
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल, यू0ओ0 क. 750 दि0 09-10-2007 के संदर्भ में।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्य प्रदेश भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल।
9. समस्त मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल।
10. संचालक, म0प्र0 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।
11. संबंधित वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।
12. संबंधित वन मण्डलाधिकारी, मध्य प्रदेश।
13. संयुक्त संचालक, जन संपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
14. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, वन विभाग।
15. संबंधित कर्मचारी द्वारा:- अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा/अराज) म0 प्र0 भोपाल।
16. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग


6/11/07

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 25/4/2007

कमांक एफ 3-33/2007/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री आर.एस. साकल्ले, उप वन क्षेत्रपाल को वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए आदेश कमांक एफ 3-51/2006/01-1 दिनांक 21-03-2007 द्वारा बैतूल वृत्त में पदस्थ किया गया था। उक्त पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए श्री साकल्ले को भोपाल वृत्त में विशेष कर्तव्य पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मीनाक्षी भालवीया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कमांक एफ 3-33/2007/10-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25/4/2007

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल, यू0ओ0 क. 254 दि0 29-3-2007 के संदर्भ में।
2. निज सचिव मा0 वन मंत्रीजी/ राज्य मंत्रीजी, वन विभाग मध्य प्रदेश शासन।
3. वन संरक्षक भोपाल/ बैतूल वृत्त मध्य प्रदेश।
4. श्री आर.एस. साकल्ले, द्वारा:- अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा/अराज) मध्य प्रदेश भोपाल।
5. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मंत्रालय
अपर प्रधान-मु.व.स (प्रशा/अराज)
भोपाल

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

श्री आर.एस. साकल्ले

2033

भोपाल दिनांक 28/4/07

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक भोपाल/ बैतूल वृत्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

OC

अपर प्रधान मु.व.स (प्रशा/अराज)
भोपाल

269

112
17
5
1
17
158

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2007

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा. अक्र.ज.)
मध्य प्रदेश, भोपाल
25/4/07

क्रमांक एफ 3-51/2006/10-1, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वन क्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में न्यायालयीन निर्णयों के अधीन पदोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल/ परिक्षेत्राधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है:-

आ0क0	उप वन क्षेत्रपाल का नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थिति का वृत्त	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना का वृत्त
1.	एच0 एस0 ठाकुर ✓	भोपाल	सागर ✓
2.	सुरेश शर्मा ✓	खण्डवा	उज्जैन ✓
3.	मसूदउलहसन ✓	भोपाल	भोपाल ✓
4.	पी0 के0 गुण्डे 213	छिन्दवाड़ा	वैतूल ✓
5.	राममनोहर पानीका 508	रीवा 513/48	शहडोल ✓

2/ मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।



कार्यालय
अपर प्रधान-मु.व.स (प्रशा. अराज.)
मप्र भापाल

क्रमांक/प्रशा.द्वारा/गो.कहा 1999 भापाल दिनांक-28/4/07

प्रतिशोध :- वनसंरक्षक, भापाल, वृत्त सागर (वडवा
उज्जैन, विन्डुवाडा, वैदुरा, बीका अहोला
की ओर वनगर्भ एफ आरव्यक कार्यवाही हेतु
रुकेधित।

अपरा शासन, वन विभाग के अधीन क्रमांक/1
एफ-3-51/2006/104 दिनांक 25/4/07 के
संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि पर्यटन उपकरणों
में की उनकी वकील परस्वापना वृत्त में उपस्थित
होने हेतु तत्काल कार्रवाई करने की कार्यवाही कर-
इस कार्यवाही को धींचा करने का कष्ट करें।

28/4/07
नि अपर प्रधान-मु.व.स (प्रशा. अराज.)
मप्र भापाल
28/4/07

OK

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

68/06



आदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2007

कमांक एफ 3-51/2006/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री जी.एस. संगर, उप वनक्षेत्रपाल को पदोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है।

2/ मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां सेक्टर पंजी में कर दी गई है।

प्रधान मुख्य (प्रशा अराज.)

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कमांक एफ 3-51/2006/10-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2007

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश, भोपाल यू0ओ0 क. 38 दि0 16-01-2007 के संदर्भ में।
2. निज सचिव मा0 वन मंत्रीजी/मा0 राज्य मंत्रीजी, वन विभाग म0प्र0 शासन।

3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर मध्य प्रदेश।
- ✓ 5. श्री जी.एस. संगर, द्वारा:- अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा/अराज) म० प्र० भोपाल।
6. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शारान
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2007

क्रमांक एफ 3-51/2006/10-1, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वन क्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में न्यायालयीन निर्णयों के अधीन पदोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल/ परिक्षेत्राधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है:-

अ0क0	उप वन क्षेत्रपाल का नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थिति का वृत्त	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना का वृत्त
1.	करोड़ी लाल शुक्ला ✓	जबलपुर	शहडोल
2.	जगत लाल बर्मन ✓	जबलपुर	शहडोल
3.	डी0 पी0 यादव ✓	जबलपुर	सिंह परियोजना कूनो पालपुर
4.	कृष्णचंद शुक्ला ✓	जबलपुर	ग्वालियर
5.	एस0के0 दीक्षित ✓	जबलपुर	सिवनी
6.	बी0पी0 पाण्डेय ✓	जबलपुर	छतरपुर
7.	समर कुमार दास ✓ SC 189	जबलपुर	22/3/52 बालाघाट ①
8.	कृष्ण कुमार सुहाने ✓	शहडोल	जबलपुर
9.	आनंद गिरी गोरवामी ✓	बैतूल	होशंगाबाद
10.	गोकुल प्रसाद आर्य ✓	बैतूल	छिन्दवाड़ा
11.	आर0एस0 साकल्ले ✓	भोपाल	बैतूल
12.	रघुनार्थ गजभिये ✓ SC 199	छिन्दवाड़ा	11/3/49 सिवनी ②
13.	एम0के0 श्रीवास्तव ✓	भोपाल	जबलपुर
14.	एच0एन0 गौतम ✓	भोपाल	भोपाल
15.	ए0के0 गौतम ✓ ✓	भोपाल	इन्दौर /
16.	शीलचंद जैन ✓ ✓	भोपाल	जबलपुर
17.	रमेशचन्द्र उइके ✓	501 होशंगाबाद	17/51 बैतूल ①

RCS
21/3/07

10. समस्त मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल।
11. मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना, इन्दौर, जबलपुर, भोपाल।
12. संचालक, म0प्र0 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।
13. समस्त वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।
14. प्राचार्य, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट।
15. संबंधित कर्मचारी द्वारा:- अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा/अराज) म0 प्र0 भोपाल।
16. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21/3/77
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 12/1/2007

क्रमांक एफ 3-134/2006/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री एस.के. शांडिल्य, उप वन क्षेत्रपाल की वरीयता सूची में वरीयता निर्धारित हो जाने के फलस्वरूप उन्हें उनके कनिष्ठ श्री रामायण प्रसाद तिवारी की पदोन्नति दिनांक 13-12-2004 से पदोन्नत करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से वन क्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रुपये 5500-175-9000 में अनुसंधान एवं विस्तार, जबलपुर की डिण्डोरी इकाई में पदस्थ किया जाता है।

2/ श्री शांडिल्य की वरीयता उनसे पदोन्नत कनिष्ठ अधिकारी श्री रामायण प्रसाद तिवारी के ऊपर एवं श्री जवाहर लाल शर्मा के नीचे निर्धारित की गई है। श्री तिवारी को शासन आदेश क्रमांक एफ 3-22/2004/10-1 दिनांक 13-12-2004 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई है।

3/ श्री शांडिल्य को पदभार ग्रहण करने से पूर्व का वेतन काल्पनिक रूप से नो-वर्क नो-पे के सिद्धांत पर इनकी वन क्षेत्रपाल के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति की तिथि दिनांक 13-12-2004 से पदभार ग्रहण करने के दिनांक तक वेतन का निर्धारण काल्पनिक रूप से किया जावेगा एवं अवशेष राशि के भुगतान की पात्रता नहीं होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2007-1-12
(आर.पी. त्रिपाठी)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कमांक एफ 3-134/2006/10-1

भोपाल, दिनांक 19/11/2007

प्रतिलिपि:-



प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल, यूओओ क. 641 दि० 27-9-2005 के संदर्भ में।

निज सचिव मा० वन मंत्री / राज्य मंत्रीजी, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग।

सचिव, लोक सेवा आयोग को उनके पत्र क. 227/110/2004/जी.एस. दिनांक

6-12-06 के संदर्भ में।

वन संरक्षक, वन वृत्त जबलपुर।

वन मण्डलाधिकारी अनुसंधान एवं विस्तार, जबलपुर डिण्डोरी इकाई।

श्री एस.के. शांडिल्य, द्वारा:- अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा/अराज) मध्य प्रदेश भोपाल।

स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मु.व.स. (प्रशा. अराज.)
भोपाल

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय

अपर प्रधान मु.व.स. (प्रशा. अराज.)

भोपाल

सं. प्र. 387

387

भोपाल दिनांक-22/11/07

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक (अनुसंधान) जबलपुर मं. प्र.
की ओर सूचनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपर प्रधान मु.व.स. (प्रशा. अराज.)

भोपाल

अवर सचिव

अवर सचिव

1	2	3	4	5
15	37	शिवसिंह बघेल	सिवनी (3)	क्षेत्रीय वृत्त बालाघाट
16	38	टेक सिंह ठाकुर	बालाघाट	क्षेत्रीय वृत्त जबलपुर 13
17	39	एम.एस. अलेरिया	भोपाल	क्षेत्रीय वृत्त सज्जैन 14
18	41	हरिप्रसाद मेहगिया	छिन्दवाड़ा (4)	क्षेत्रीय वृत्त बैतूल
19	42	अभयराम डेहरिया	छिन्दवाड़ा (5)	क्षेत्रीय वृत्त सिवनी
20	44	शेख मो. इल्यास	जबलपुर	वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट 15
21	45	एस.एस. परमार	जबलपुर	क्षेत्र संचालक पन्ना टायगर रिजर्व पन्ना 16
22	46	अजीत सिंह	छतरपुर	काष्ठागार अधिकारी, विक्रय डिपो नई दिल्ली 17
23	49	टी.एस. सैंगर	जबलपुर	क्षेत्रीय वृत्त रीवा 18
24	51	एच.के. शिवानी	जबलपुर	क्षेत्र संचालक, पन्ना टायगर रिजर्व पन्ना 19
25	52	यशवन्तसिंह सोलंकी	सज्जैन	क्षेत्रीय वृत्त सज्जैन 20
26	53	शिवपाल साकरे	बैतूल (6)	क्षेत्रीय वृत्त खंडवा
27	54	हेमराज सिंग चौधरी	जबलपुर	क्षेत्र संचालक, पंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी 21
28	55	जे.के. मोहर	बालाघाट	क्षेत्र संचालक पंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी 22
29	56	ओमकार प्रसाद त्रिपाठी	जबलपुर	क्षेत्रीय वृत्त छतरपुर 23
30	59	ए.के. श्रीवास्तव	जबलपुर	क्षेत्रीय वृत्त रीवा 24
31	61	जे.एस. चौहान	जबलपुर	क्षेत्रीय वृत्त छतरपुर 25
32	62	मनोराम पाटिल	बालाघाट (7)	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त जबलपुर
33	63	यशवन्त सिंह जाटव	खण्डवा (8)	सज्जैन वृत्त
34	64	जगदीश प्रसाद पाराशर	सज्जैन	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 26
35	67	करंजू लाल अहिरवार	छतरपुर (9)	क्षेत्रीय वृत्त रीवा
36	71	अनारसिंह तोमर	सज्जैन	क्षेत्रीय वृत्त खंडवा 27
37	71 A	नेकसिया राम	शिवपुरी (10)	क्षेत्रीय वृत्त शिवपुरी

1	2	3	4	5
38	73	देवीलाल खनवरिया	शिवपुरी 11	क्षेत्रीय वृत्त शिवपुरी
39	74	दयाराम वर्मा	खण्डवा 12	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
40	76	भाईलाल वर्मा	रीवा 13	क्षेत्रीय वृत्त म्वालियर
41	77	अच्छेलाल वर्मा	रीवा 14	क्षेत्रीय वृत्त जबलपुर
42	78	चतुर्भुज सिंह	उज्जैन	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 28
43	79	नागेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	छतरपुर	सिंह परियोजना कुनो पालपुर 29
44	83	रमेश चन्द्र ओझा	उज्जैन	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 30
45	86	ओम नारायण मिश्रा	उज्जैन	क्षेत्रीय वृत्त खंडवा 31
46	95	पुरुषोत्तम पुरोहित	उज्जैन	क्षेत्रीय वृत्त खंडवा 32
47	97	बी.डी. रावत	शहडोल	क्षेत्रीय वृत्त शहडोल 33
48	98	श्यामलाल सिंह पटेल	रीवा	क्षेत्रीय वृत्त जबलपुर 34
49	100	पी.एन.एस. परिहार	शहडोल	क्षेत्रीय वृत्त भोपाल 35
50	102	श्रीशंकर लाल झांगी	खण्डवा	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाबुआ 36
51	103	गुण निधान पाण्डे	रीवा	बाधवगढ़ राष्ट्रीय सद्यान 37
52	104	सुधाकर प्रसाद पाण्डे	रीवा	क्षेत्रीय वृत्त भोपाल 38
53	106	जगदीश सिंह सोमवंशी	छतरपुर	क्षेत्रीय वृत्त रीवा 39
54	107	रामअवतार पांडे	छतरपुर	क्षेत्रीय वृत्त रीवा 40
55	109	शलेन्द्र कुमार मिश्रा	रीवा	क्षेत्रीय वृत्त भोपाल 41
56	110	अक्षय प्रसाद पाण्डे	रीवा	क्षेत्रीय वृत्त सागर 42
57	111	रमेश चन्द्र गुप्ता	शिवपुरी	क्षेत्रीय वृत्त शिवपुरी 43
58	112	एन.एल. वर्मा	इन्दौर 5	क्षेत्रीय वृत्त खंडवा
59	115	रामेश्वर सिंह	रीवा	क्षेत्रीय वृत्त रीवा 44
60	117	आर.पी. त्रिपाठी	रीवा	क्षेत्रीय वृत्त छतरपुर 45
61	119	रमेशचन्द्र जाधव	उज्जैन	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 46

2003
6-1-07

15

46

1	2	3	4	5
62	122	तेजसिंह चौहान	इन्दौर 16	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
63	123	अशोक परमार	बालाघाट 17	क्षेत्रीय वृत्त बैतूल
64	124	हरदास चौबे	सागर	क्षेत्रीय वृत्त सागर 47
65	124 A	श्री राम कुमार दुबे	सागर	क्षेत्रीय वृत्त शिवपुरी 48
66	126	एस.पी. मिश्रा	सागर	क्षेत्र संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी 49
67	127	हफीज खान	सागर	क्षेत्रीय वृत्त भोपाल 50
68	135	मधुराम नरवरे	बैतूल	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त बैतूल 51
69	141	व्ही.एस. अवधरिया	जबलपुर 18	क्षेत्रीय वृत्त रीवा
70	143	सुन्दरलाल कडवे	बैतूल	उत्पादन वनसंरक्षक खडवा 52
71	144	शिवबहादुर सिंह भदौरिया	ग्यालियर	सिंह परियोजना कुनो पालपुर 53
72	146	कृष्ण यशवत खरे	इन्दौर	क्षेत्रीय वृत्त खडवा 54
73	150	भूर सिंह रावत	इन्दौर	वनसंरक्षक उत्पादन खडवा वृत्त ① 55
74	151	एस.एस. त्रिपाठी	खण्डवा	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 56
75	153	बोधन लाल तिवारी	सिवनी	क्षेत्रीय वृत्त छिदवाड़ा 57
76	154	तेजराम पाटिल	खण्डवा	क्षेत्रीय वृत्त बैतूल 58
77	158	त्रिवेणी प्रसाद अग्निहोत्री	रीवा	क्षेत्रीय वृत्त ग्यालियर
78	160	गंगा राम सावले	खण्डवा 19	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त इंदौर SC 59
79	161	राजीव लोचन पाण्डे	जबलपुर	क्षेत्र संचालक रा. उद्यान सीधी 60
80	162	बी.एल. धाकड	शिवपुरी	सिंह परियोजना कुनो पालपुर 61
81	163	धनश्याम लाल शर्मा	शिवपुरी	क्षेत्रीय वृत्त ग्यालियर 62
82	164	पी.के. उपमन्यु	इन्दौर	वनसंरक्षक उत्पादन खडवा वृत्त 63
83	165	एच.सी. साहू	भोपाल	क्षेत्रीय वृत्त भोपाल 64
84	166	पी.एल. बबले	भोपाल	क्षेत्रीय वृत्त भोपाल 64

1	2	3	4	5	
85	167	वीरन्द्र कुमार पटेल	बेतूल	उत्पादन वनसंरक्षक खंडवा	65
86	169	एस.एल. आर्य	भोपाल	क्षेत्रीय वृत्त भोपाल	66
87	170	देवेन्द्र सिंह सिसोदिया	खण्डवा	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाबुआ	67
88	171	पी०पी० जैन	भोपाल	क्षेत्रीय वृत्त सागर gn(1.1.93)	68
89	173	नवरंग लाल शिवहरे	भोपाल	क्षेत्रीय वृत्त खंडवा	69
90	175	माधव सिंह रघुवंशी	होशंगाबाद	क्षेत्रीय वृत्त बेतूल	70
91	177 A	गोपाल सहाय सक्सेना	भोपाल	क्षेत्रीय वृत्त होशंगाबाद gn(19/3)	71
92	179	अनिल कुमार दुबे	बेतूल	क्षेत्रीय वृत्त छिन्दवाड़ा ↑	72
93	278	सोमा साल्वे	खण्डवा	क्षेत्रीय वृत्त इंदौर 2	STP
94	293	बलवान सिंह	सागर	क्षेत्र संचालक सतपुड़ा रा०र० पंचमड़ी 3	STP
95	326	शिव प्रसाद मानकर	होशंगाबाद	क्षेत्रीय वृत्त होशंगाबाद 4	
96	354	एम.एस. बारोड	उज्जैन	क्षेत्रीय वृत्त खंडवा 5	
97	385	राजाराम राठीर	उज्जैन	अनुसंधान विस्तार वृत्त खंडवा 6	
98	364	तोलाराम पूजाजी	इन्दौर	क्षेत्रीय वृत्त खंडवा 7	
99	387	गणेश राम राजगोण्ड	जबलपुर	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा 8	
100	389	बी.एस. बरकडे	जबलपुर	क्षेत्रीय वृत्त छतरपुर 9	
101	391	चैतराम सईके	जबलपुर	क्षेत्रीय वृत्त छतरपुर 10	
102	405	दिनकर शाह धुर्वे	छिन्दवाड़ा	क्षेत्रीय वृत्त छिंदवाड़ा 11	
103	426	शालिग्राम बुधासिंह सोलंकी	होशंगाबाद	क्षेत्रीय वृत्त बेतूल 12	
104	434	हर्षो लाल मरावी	जबलपुर	क्षेत्र संचालक, कान्हा टायगर रिजर्व मंडला 13	
105	435	बहादुरसिंह सोलंकी	उज्जैन	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त इंदौर 14	
106	439	रामलाल सईके	छिन्दवाड़ा	क्षेत्रीय वृत्त बेतूल 15	
107	454	सी.के. तोकाम	सिवनी	क्षेत्रीय वृत्त बालाघाट 16	

1	2	3	4	5
108	459	ए.एल. कोकडे	सिवनी	क्षेत्रीय वृत्त जबलपुर 17
109	485	राम बक्स सिंग धुर्वे	जबलपुर	क्षेत्रीय वृत्त बालाघाट 18
110	486	खेल चन्द्र चईके	जबलपुर	क्षेत्रीय वृत्त बैतूल 19
111	492	मुकुन्दसिंह नोरके (99/9/97)	राजैन	क्षेत्रीय वृत्त खंड्या 20 3 तजा

2- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) विनियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करके हेतु निर्धारित रोल्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रवृत्तियां रोल्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3- प्रमाणित किया जाता है कि मंत्रालय लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्यांक 21 सन् 1994) तथा मंत्रालय लोक सेवा (पदोन्नति) विनियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (विशेषता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञक है।

4- उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध किन्हीं जांच/ लोकायुक्त/ अर्थात् अपराध अनुसंधान दूरों संबंधी प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हो तो पदोन्नति आदेश प्रदान नहीं किया जाये एवं स्थिति की सूचना तत्काल शासन को दी जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अरुंधती त्रिपाठी)
अवर सचिव,
मंत्रालय शासन, तब किमान

श्री 107
भोपाल, दिनांक 06 जनवरी, 2007

पृ. सं. एक 3-51/2006/10-1

प्रतिलिपि :

- 1- सचिव, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल।
- 2- विजय सचिव, मानवीय मंत्री जी/ राज्यमंत्री जी, मंत्रालय शासन, तब किमान भोपाल।
- 3- सचिव, मंत्रालय लोक सेवा असेशन, इन्टोर।
- 4- प्रधान मुख्य तब संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 5- प्रधान मुख्य तब संरक्षक (तब प्रणी) मध्यप्रदेश भोपाल।
- 6- सचिव, बर्मादा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
- 7- प्रबंध संवाहक, मंत्रालय राज्य तब विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 8- प्रबंध संवाहक, मंत्रालय राज्य तब तब विकास संघ, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 9- समस्त अपर प्रधान मुख्य तब संरक्षक, मंत्रालय भोपाल।
- 10- समस्त मुख्य तब संरक्षक, मंत्रालय भोपाल।

17-20
71/10

11. मुख्य वन संरक्षक, कर्म अखौजवा, इन्दौर, जबलपुर, भोपाल।
12. संचालक, मंत्रालय राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।
13. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
14. प्राचार्य, वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बलाघाट ।
15. संबंधित कर्मचारी, द्वारा अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा.अ.राज.) भोपाल।
की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कर्मचारी हेतु अनुरोध।

21-3/6-67
अवर सचिव,
मंत्रालय शासन, वन विभाग
भोपाल